संख्या-125/2024/1385/सैंतीस-2-2024/1(15)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-25 जुलाई, 2024

विषयः- "**जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना" की गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि बकरियों की जमुनापारी नस्ल उत्तर प्रदेश में मूलरूप से यमुना, चम्बल और क्वारी नदियों के किनारे पायी जाती है। जमुनापारी नस्ल की बकरियाँ सबसे ज्यादा वजन एवं दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष की 32 स्थानीय नस्लों में प्रथम स्थान रखती हैं। अतएव भारतवर्ष की महत्वपूर्ण स्थानीय नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से जनपद इटावा में पूर्व से संचालित भदावरी भैस एवं जमुनापारी प्रक्षेत्र में ओपन न्यूकिलयर ब्रीडिंग फार्म चलाया जाना प्रस्तावित है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त "जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना" का प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना

योजना की पृष्ठभूमिः-

बकरी पालन व्यवसाय आज के परिवेश में एक सफल उद्यमी का मूलभूत आधार है, क्योंकि बकरी को दुग्ध व मॉस दोनों के लिए पाला जाता है। उच्च गुणवत्ता के राशन व प्रबन्धन से मॉस उत्पादन बढ़ता है किन्तु दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिकी सुधार नितान्त आवश्यक है। 20वीं पशुगणना के अनुसार जनपद औरैया में 20,918 एवं जनपद इटावा में 16,197 बकरे/बकरियॉ मौजूद हैं, जिनकी संख्या निरन्तर कम हो रही है। अतएव भारतवर्ष की महत्वपूर्ण स्थानीय नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम फरह, मथुरा के मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए जनपद इटावा में पूर्व से संचालित भदावरी भैस एवं जमुनापारी प्रक्षेत्र में ओपन न्यूकिलयर ब्रीडिंग फार्म चलाया जाना प्रस्तावित है।

योजना की आवश्यकताः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ओपन न्यूक्लियस प्रजनन प्रणाली का मूल उद्देश्य बहु अंडाणु एवं भ्रूण स्थानांतरण का प्रयोग करते हुए नर और मादा का एक विशिष्ट झुंड (या कुछ विशिष्ट झुंडों) बनाना तथा झुंडों में गहन चयन और परीक्षण करना है। इसके द्वारा नर और मादा का कम उम्र में चयन किया जाता है। ओपन न्यूकिलयस ब्रीडिंग केन्द्र के विकास हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि अच्छी नस्ल के नर व मादा दोनों पाली जायें। उच्च गुणवत्ता के नर एवं मादा का चयन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बकरी पालकों के पास इनके माँस, दुग्ध उत्पादन एवं चारे-दाने से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है। अतः उच्च गुणवत्ता के नर एवं मादा के चयन के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग नितान्त आवश्यक है। साथ ही अधिक संख्या में उच्च गुणवत्ता के नर एवं मादा की प्राप्ति हेतु मेलों का आयोजन भी किया जाना आवश्यक है।

जमुनापारी नस्ल की बकरियाँ सबसे ज्यादा वजन एवं दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष की 32 स्थानीय नस्लों में प्रथम स्थान रखती हैं। जमुनापारी नस्ल उत्तर प्रदेश में मूलरूप से यमुना, चम्बल और क्वारी नदियों के किनारे पायी जाती है। इस बकरी की मूल उपलब्धता जमुना के किनारे बीहड़ क्षेत्र में जनपद औरैया, इटावा में है। जनपद इटावा के कई ग्रामों में शुद्ध नस्ल की जमुनापारी बकरियाँ वर्तमान में पाली जा रही हैं। नजदीकी जनपदों यथा-मैनपुरी, आगरा, औरैया, फिरोजाबाद, कन्नौज, फर्रूखाबाद एवं कानपुर देहात में भी जमुनापारी बकरी के पालन के प्रति रूझान बढ़ा है। अतएव जनपद इटावा में इन बकरियों की ब्रीडिंग का ओपन न्यूक्लियस केन्द्र बनाया जाना उपयुक्त होगा।

<u>मेला आयोजन समिति</u>:-

योजनान्तर्गत जनपद इटावा एवं औरया में कम से कम 3-3 मेलों का आयोजन प्रस्तावित है। मेला आयोजन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन प्रस्तावित है:-

1- संबंधित तहसील स्तरीय उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी - सदस्य
2- तहसील अन्तर्गत खण्ड स्तरीय पशुचिकित्साधिकारी - सदस्य
3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा नामित पशुचिकित्साधिकारी - सदस्य सचिव।

(क) तहसील अन्तर्गत समस्त पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सम्पर्क कर मेले में अधिकाधिक संख्या में पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

(ख) गठित समिति द्वारा प्रारम्भिक तौर पर बकरियों (नर एवं मादा) का चयन कर सूचीबद्ध किया जायेगा। (ग) उपरोक्त समिति की संस्तुति के आधार पर मेला आयोजन पर धनराशि का व्यय किया जायेगा।

<u>चयन के मुख्य उद्देश्य</u> :-

1. बकरों में गुणवत्ता के आधार पर वजन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. इनब्रीडिंग को रोकना।
3. नस्ल सुधार करना।
4. एफ-2 क्रास में जमुनापारी नस्ल का लगभग शुद जर्मप्लाजम प्राप्त करना।
5. जमुनापारी ब्रीडिंग ट्रैक में उच्च गुणवत्ता की नस्ल को संरक्षित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. अच्छी गुणवत्ता के बकरे व बकरी के चयन में मेलों का आयोजन करते हुए रू0-65000/- से 80000/- प्रति बकरा एवं रू0-55000/- से 70000/- प्रति बकरी की दर से लाभार्थी को आर.टी.जी.एस. एवं डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। लाभार्थी के पास यदि एक से ज्यादा उच्च गुणवत्ता के नर एवं मादा उपलब्ध हैं तो उन्हें भी क्रय किया जा सकता है।

<u>मेला आयोजन हेतु स्थल का चयन</u> :-

किसी एक ग्राम पंचायत में, जहाँ पशुओं की संख्या अधिक हो, में निम्न मानकों के दृष्टिगत मेलों का आयोजन किया जायेगा:-

- चिन्हित ग्राम में मेलों के आयोजन हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो।
- पशुओं को बांधने हेतु पर्याप्त जगह तथा पीने के पानी की उपलब्धता हो।
- ग्राम में आवागमन की उचित सुविधा एवं सम्पर्क मार्ग हो।
- चयनित क्षेत्र अथवा ग्राम में अधिक से अधिक कृषक, पशुपालकों को अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग करने में यथासंभव कम से कम दूरी तय करनी पड़े।

<u>रणनीति</u> :-

- प्रदेश के जनपद इटावा एवं औरैया में मेलों का आयोजन किया जायेगा।
- मेला आयोजन का समय प्रातः 08:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक निर्धारित किया जायेगा।
- प्रत्येक मेले के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व निर्धारित ग्राम से 07 कि.मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों में भ्रमण कर व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्साधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं अन्य संबंधित स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं इस कार्य हेतु उनकी डयूटी लगायी जायेगी।
- मेले से पूर्व समस्त आवश्यक उपकरणों अन्य सामिग्रयों की ससमय व्यवस्था कर ली जायेगी।
- मेले में प्रतिभाग कर रहे कृषकों एवं पशुपालकों तथा उनके पशुओं का पंजीकरण उपलब्ध कराये गये प्रारूप में किया जायेगा।

<u>चयन की प्रक्रिया</u> :-

मेला आयोजन समिति द्वारा प्रारम्भिक रूप से चयनित बकरियों में से अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु निम्नवत् समिति निर्धारित होगी:-

1-	अपर निदेशक, ग्रेड-2 कानपुर मण्डल कानपुर	- अध्यक्ष
2-	सी.आई.आर.जी. मथुरा द्वारा नामित	- सदस्य
3-	संयुक्त निदेशक, भदावरी प्रक्षेत्र जनपद इटावा	- सदस्य
4-	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी इटावा/औरैया	- सदस्य सचिव।

कैम्प आयोजन हेतु पंडाल, फर्नीचर, माइक, वीडियोग्राफी, अल्पाहार, बैनर, बकरियों के चारे-दाने की व्यवस्था उनके खान-पान से संबंधित बर्तनों की व्यवस्था की जायेगी।

मेले/गोष्ठियों में आये हुए बकरा एवं बकरी पालकों का पंजीकरण संलग्न प्रारूप-1 के अनुरूप अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण कार्ड बनवाकर बकरी पालकों को आवंटित किये जायेंगे। वैज्ञानिकों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागीय विशेषज्ञों द्वारा चयनित 05 नर/बकरी एवं 50 बकरियों को कमेटी द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय कर केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम फरह, मथुरा को भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। क्रय किये गये पशुओं का भुगतान विभाग द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया जायेगा। साथ ही 05 नर तथा 50 बकरियों को इटावा प्रक्षेत्र पर भी संरक्षित किया जाना होगा। एक वर्ष उपरान्त केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम फरह, मथुरा द्वारा 05 नर तथा 50 बकरियों को इटावा प्रक्षेत्र पर स्थानान्तरित किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत उच्च नस्ल की नर एवं मादा बकरियों के क्रय का कार्यक्रम उपरोक्तानुसार भविष्य में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

उत्पन्न हुए उच्च गुणवत्ता युक्त नर/मादा बच्चों के परिपक्व होने पर बकरी पालकों को पूर्व नामित चयन समिति के माध्यम से दर निर्धारित करते हुए बिक्री किया जायेगा। साथ ही प्रतिवर्ष दो वर्ष बाद पुराने 1/4 बकरों/बकरियों को नये उत्पन्न नद व मादा बकरियों से परिवर्तित किया जायेगा एवं दो वर्ष पुराने बकरा/बकरी को पूर्व नामित चयन समिति के माध्यम से दर निर्धारित करते हुए क्षेत्र में बिक्री किया जायेगा।

इस प्रकार निरन्तर नये जर्म प्लाजम बकरा/बकरी प्रक्षेत्र में आते रहेंगे। उच्च गुणवत्ता के बकरा/बकरी क्षेत्र में वितरित भी होते रहेंगे। नस्ल सुधार की एक सतत् प्रक्रिया चलती रहेगी। जमुनापारी बकरी एवं भदावरी भैंस प्रक्षेत्र में तैनात विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही इस योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता के अनुरूप स्टाफ सेवा प्रदाता द्वारा रखे जायेंगे। संबंधित नर बकरों की कवरिंग के बारे में पंजीकरण रजिस्टर बनाया जायेगा। बकरी द्वारा उत्पन्न बच्चों की संख्या, दुग्ध उत्पादन इत्यादि का अभिलेखीकरण पशुचिकित्सालयों द्वारा निरन्तर विषय विशेषज्ञों के सहयोग से किया जायेगा। समस्त डाटा रिकार्डिग समस्त चयनित बकरा/बकरी द्वारा उत्पन्न संतति का डाटा संलग्न प्रारूप-2 पर रखा जायेगा। डाटा रिकार्डिग हेतु स्थानीय पर मानव संसाधन की व्यवस्था सेवाप्रदाता के माध्यम से की जायेगी, जिसमें पशुमैत्री को प्राथमिकता दी जायेगी।

मेले के आयोजन हेतु वैज्ञानिकों को मानदेय का भुगतान मानक मद 07, मेलों एवं गोष्ठियों के आयोजन हेतु धनराशि का व्यय मानक मद-42 एवं 44 से किया जायेगा। मेला/गोष्ठी के आयोजन से संबंधित एवं डाटा रिकार्डिग से संबंधित व्यय मानक मद-11 से किया जायेगा। वैज्ञानिकों को उनके तैनाती स्थान से मेला/गोष्ठी स्थान तक लाने एवं ले जाने के लिए विभागीय वाहन उपलब्ध कराने की दशा में डीजल इत्यादि का व्यय मानक मद-15 से किया जायेगा।

मेले/गोष्ठी में विज्ञापन साहित्य बिक्री एवं वितरित किये जाने वाले नि:शुल्क साहित्य पर व्यय मानक मद-19 से किया जायेगा। योजनान्तर्गत डाटा रिकार्डर (पैरावेट/पशु मित्र या समकक्ष योग्य व्यक्ति) को आउट सोर्सिंग के माध्यम से मद संख्या-58 से भुगतान किया जायेगा साथ ही उक्त योजना के संचालन हेतु अनुभवी वस्तु विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अधिकारियों की आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं। बकरी प्रक्षेत्र पर कार्मिकों की व्यवस्था भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा सकेगी।

<u>अनावर्ती कार्य</u> :-

योजना के अन्तर्गत भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा पर उपलब्ध 08 बकरी शेड्स की मरम्मत, कार्यालय एवं अन्य भवनों का जीर्णोद्धार, सड़क/बिजली/पानी की व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बजट की उपलब्धता के अनुसार केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह मथुरा प्रक्षेत्र पर भी 02 बकरी शेड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

<u>योजना का अनुश्रवण</u> :-

उक्त योजनान्तर्गत संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों एवं अपर निदेशक ग्रेड-।। का दायित्व होगा कि वह पशुपालकों द्वारा क्रय किये जा रहे पशुओं का त्रैमासिक आधार पर निरीक्षण कर संबंधित पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करें कि वह मासिक आधार पर पशुओं का निरीक्षण करें तथा औसत दुग्ध उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी एवं अन्य जानकारियां मासिक प्रगति प्रतिवेदन के रूप में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें। सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी सम्पूर्ण जनपद की उक्त संकलित सूचना अपर निदेशक ग्रेड-2 को उपलब्ध करायेंगे एवं अपर निदेशक का दायित्व होगा कि वह अपने मण्डल की डाटा रिकार्डिंग की संकलित सूचना प्रतिमाह 30 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करायें। निदेशालय स्तर पर उक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं को संकलित किया जायेग।

<u>योजना का लाभ</u> :-

1. प्रदेश में प्रतिवर्ष बकरी के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
2. पशु विक्रय से आर्थिक लाभ होगा।
3. प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के नर/मादा की उपलब्धता अधिक होने से अन्य प्रदेशों की माँग को पूरा किया जा सकेगा।
4. प्रदेश के अन्य पशुपालकों को प्रदेश के अन्दर ही उच्च गुणवत्ता के मादा पशु प्राप्त हो सकेंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रारूप 1 एवं 2

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-125/2024/1385(1)/सैंतीस-2-2024/1(15)/2023, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप - 01

डाटा रिकार्डर द्वारा किये जाने वाले कार्य

(चयनित प्रत्येक बकरी का विवरण)

1. चयनित बकरी का टैग नम्बर :-
2. बकरी पालक का नाम :-
3. मोबाईल नम्बर :-
4. आधार संख्या :-
5. बैंक का नाम :-
6. बैंक शाखा व आई.एफ.एस.सी. कोड :-
7. स्थायी पता :-
8. बच्चे के जन्म की तिथि :-
9. बच्चे का लिंग (नर/मादा) :-
10. रिकार्डिंग की तिथि :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-02

नर एवं बकरियों की स्थिति का विवरण

किये जाने वाले कार्य	जन्म की तिथि	प्रथम माह	द्वितीय माह	तृतीय माह	चतुर्थ माह	पंचम माह	षष्टम माह	सप्तम माह	अष्टम माह	नवम माह
बच्चे का वजन										
ऊँचाई										
जमुनापारी के विशेष गुण										
बकरी (माता) के दुग्ध उत्पादन										
कान की लम्बाई										
बच्चे देने की क्षमता (एक या दो)										

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।